



उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-27/2020/2279/77-6-2020-05(एम)/2017टी.सी.-15
लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2020

कार्यालय - ज्ञाप

अधिसूचना संख्या-2180/77-6-2020-05(एम)/2017टी.सी.-15 दिनांक 14.08.2020 द्वारा प्रख्यापित "कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020" के क्रियान्वयन हेतु "पिकप" को नोडल एजेंसी नामित किया जाता है।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-27/2020 /2279(1)/77-6-2020-05(एम)/2017टी.सी.-15तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ०प्र०।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ०प्र०।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. प्रबन्ध निदेशक पिकप।
8. इन्वेस्ट यू०पी०, 12-सी मॉल एवेन्यू, लखनऊ का इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत नीति उद्योग बन्धु की वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए 150 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग उद्योग निदेशालय, कानपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रजनी कान्त पाण्डेय
अनु सचिव।